किशनगढ़

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

आदेश कॉपी रिमांड 31/12/2019

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

~~श्रीमती प्रेम देवी व०२०~~ बनाम ~~श्रीमती मनफूला देवी पत्नि बिरमा~~

~~रामचन्द्र जाति बलाई।~~ ~~जाति बलाई व अन्य~~

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 504/2019 सन् 2019 (किशनगढ़)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री [illegible] श्री	
31.12.19	अपील श्री शहाबुद्दीन खान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 16.09.2019, प्रकरण संख्या 217/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट के कथन एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा आदेश दिनांक 27.03.2019 निरन्तरता में होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। तत्पश्चात अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 340 रकबा 15 बीघा भूमि है बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के कथना अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने दिनांक 19.09.2019 को एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए विवादित आराजी को बेचान, हस्तातंरण नहीं करने एव विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्टस अपीलाधीन आदेश की आड़ में स्वंय अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर उतारू है चुंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलार्थीया को धमकी दी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तुम्हे/अपीलार्थीया को ही पाबंद किया है मुझ/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को नहीं किया गया है। मैं अपना हिस्से का कभी भी बेचान, हस्तांतरण कर सकती हूँ। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलाधीन आदेश की आड़ में अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान कर अपीलार्थीया को मौके से बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण अपीलार्थीया को यह अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुयी है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सह-खातेदार द्वारा अन्य सह-खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि व कानूनन के प्राकृतिक सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीया के पक्ष में तीन महत्वपूर्ण बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति पूर्ण रूप से सिद्ध हैं। चुंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्वंय उपरोक्त आराजी ग्राम काढ़ा के खसरा नम्बर 340 रकबा 15 बीघा का बैचान, हस्तातंरण, भूमि की शक्ल	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

504/2019/225 श्रीमती प्रेम देवी vs श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

तारीख पेशी	504/2019 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री .... श्री

लगातार

परिवर्तन करने पर आमादा है जिससे अपीलार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2019 को निरस्त करते हुए, उभयपक्षों को ताफैसला मूलवाद मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावे या अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2019 की क्रियान्विति स्थगित करते हुए, ताफैसला अपील उभयपक्ष को पाबंद किया जावें कि वे विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम की प्रति, जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.09.2019 को अप्रार्थीगण को विवादित आराजी का बैचान, हस्तातंरण नहीं करने तथा विवादित आराजी की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की आगामी पेशी तक तक यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय रूप से पाबंद फरमाया है जिसका निस्तारण लम्बी अवधि के पश्चात भी नहीं किया जाता हैं तो प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट को ही होनी है, जो विवादित आराजी के सह–खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जो जारी की है, उसके 30 दिवस से अधिक हो चुके है। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 (ए) के प्रावधानों का उल्लघंन है। चूँकि अप्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे तौर पर यह अपील प्रस्तुत की हैं जो मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 (ए) का उल्लघंन किये जाने के कारण एवं पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय 30 दिवस में पारित करें। तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें एवं विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

31/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर